प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जव स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

112 - डेगाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपवंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री अजय सिंह (नाम) मु. पो. पुन्दलौता, त. डेगाना, जि. नागौर राज. (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थानः श्री वी.आर.मिधी राजकीय महाविद्यालय, नागौर

दिनांक: 03.12.2023

(पंकज गढ़वाल) रिटर्निग ऑफिसर 112-डेगाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) डेगाना

> रिटर्निंग ऑफिसर 112-डेमाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड पतिस्ट्रेट) हेगाना

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legisletive Assembly of Rajasthan State from the 112, Degana Assembly constituency.

In puesuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri AJAY SINGH (Name)

V. P. PUNDLOTA, TEHSIL - DEGANA DISTT - NAGAUR RAJ. (Address)

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- Shri B.R. Mirdha Govt. College, NAGAUR

Date:- 03.12.2023

2

(Pankaj Garhwal)
Returning Officer
112-Degana Assembly Constituency
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate) Degana

रिटर्निग ऑफिसर 112-डेगाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं अपखण्ड प्रजिस्ट्रेट) बेगाना